



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1037 (iii)/184

दिनांक : 21.10.16

:- संशोधित कार्यालय आदेश :-

मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर वर्ष 2016-17 की स्वीकृति का कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1037 (iii)/183 दिनांक 19.10.2016 द्वारा गढ़ी थोरियान, ब्यावर एवं जैसलमेर आवासीय योजना की विकसित भूमि दर निम्नानुसार अंकित की गई थी:-

क्र. सं.	योजना का नाम	आवासीय म0आ0व0 'अ' 2016-17	वाणिज्यिक 2016-17	संस्थानिक 2016-17
16	गढ़ी थोरियान, ब्यावर	11285	48490	16930
81	जैसलमेर आवासीय योजना	4445	19100	6670

उपरोक्त विकसित भूमि दरों के स्थान पर गढ़ी थोरियान, ब्यावर एवं जैसलमेर आवासीय योजना की विकसित भूमि दर निम्नानुसार पढ़ी जावे:-

क्र. सं.	योजना का नाम	आवासीय म0आ0व0 'अ' 2016-17	वाणिज्यिक 2016-17	संस्थानिक 2016-17
16	गढ़ी थोरियान, ब्यावर	9735	41830	14605
81	जैसलमेर आवासीय योजना	6230	26770	9345

शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेगी।

अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त

दिनांक : 21.10.16

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1037 (iii)/184

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष, रा.आ.म., जयपुर।
- 2- निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ.म., जयपुर।
- 3- वरिष्ठ निजी सहायक-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा.आ.म., जयपुर।
- 4- अति.मु. अभियन्ता, (I/II/III), रा.आ.म.,
- 5- मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा.आ.म., जयपुर।
- 6- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-, रा.आ.म.,
- 7- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
- 8- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-, रा.आ.म.,
- 9- सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-, रा.आ.म.,
- 10- वरिष्ठ लेखाधिकारी,, रा.आ.म.,
- 11- लेखाधिकारी, वृत्त-, रा.आ.म.,
- 12- रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार